Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

मध्यप्रदेश स्टार्टअप योजना एवं क्रियान्वयन का अध्ययन

डॉ. रश्मि चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षो में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृखला में म.प्र. द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुन: वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को लागू किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीत का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अत: राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से **'एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022'** लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल एवं महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई हैं। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रखकर स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज आफ डूईंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।

स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य- म.प्र.स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है:

1. सकारात्मक हस्तक्षेप और अन्य उत्प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
2. स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्रापत स्टार्ट-अप में 100 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना।
3. कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 200 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना।
4. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि करना।
5. नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता विस्तार।
6. स्कूल एवं महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना।
7. नवाचार और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास करना।
8. भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में मध्यप्रदेश को उच्च स्थान दिलाना।

स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास- स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निम्नांकित पांच स्तंभों के अनुसरण पर केन्द्रित है:

1. संस्थागत सहयोग ईज आफ डूईग बिजनेस सहित।
2. उत्पाद आधारित स्टर्ट-अप को प्रोत्साहन देना।
3. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
4. विपणन सहयोग करना।
5. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नीति की अवधि और प्रयोज्यता- यह नीति मध्यप्रदेश में अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

स्टार्ट-अप का अर्थ:

1. स्टार्ट-अप का अर्थ ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हों महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप से अभिप्राय है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो जिसका एक भौतिक आकार हो।
3. इंक्यूबेटर से अभिप्राय है स्टार्ट-अप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिए परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। साथ ही इसका स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त होना तथा मध्यप्रदेश में स्थापित या कार्यरत होना अनिवार्य होगा।
4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर से अभिप्राय है विश्वविद्यालयों,

सार्वजनिक अनुसंधान, संस्थानों स्थानीय शासन ओर निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है।

5. मेजबान संस्थाओं से अभिप्राय है मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कालेज, उच्च शिक्षा संस्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान या स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी या विशेष प्रयोजन इकाईयां।
6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम प्लेटफार्म से अभिप्राय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।
7. राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति से अभिपाय है राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।
8. राज्य स्तरीय आंकलन या मूल्याकन समिति से अभिप्राय है राज्य नवाचार चुनौती के अन्तर्गत चयन स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।
9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्राय है प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति।

स्टार्अ-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना- स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं। राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट-अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है।

मध्य प्रदेश में स्टार्अ-अप सेंटर की स्थापना- मध्यप्रदेश में स्टार्अ-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार, आयोजनों, कार्यशालाओं आदि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्अ-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्अ-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

स्टार्अ-अप सेंटर के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:

1. राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना।
2. स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सतत सम्पर्क करना।
3. निर्धारित नीति से किसी भी अनुमोदन, प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना।
4. राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थतिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।
5. केन्द्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।
6. केन्द्र स्टार्ट-अप नवोन्मेषी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न निवेशों, बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफार्म में अपनी सेवाओं, उत्पादों को पिच, शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह मेंटरशिप सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा और सेवी, आरबीआई, अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेश, कॉर्पोरेट निवेशकों, अन्य फंडिग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी या वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा।
7. मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।
8. स्टार्ट-अप को कम्पनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना है।
9. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्प्स चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज तथा निवेशक सम्मेलन या कार्यशालाओं का आयोजन करना।
10. स्टार्ट अप एवं इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डों एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
11. बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन।

प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था- एम.पी. स्टार्ट अप सेंटर के संचाचलन एवं निर्धारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केन्द्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जावेगी। वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एम.पी. स्टार्ट अप सेंटर की स्थापना एवं स्टार्ट अप या इन्नोवेशन संबंधी गतिविधियों मे किया जायेगा।

ऑनलाईन पोर्टल का विकास- प्रदेश में स्टार्ट अप हेतु एक सुदृढ ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जायेगा जो स्टार्ट अप, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट अप पोर्टल से एकीकृत किया जावेगा। प्रदेश में स्टार्ट अप एवं इन्क्यूबेटर्स को इस ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रधानत: सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी- मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थाओं से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी। मध्यप्रदेश स्टार्ट अप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासधीन उत्पादों की टेंस्टिंग, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर इंदौर एवं भोपाल, नेशनल इंस्टीटयूट आफ डिजाइन, भोपाल आइआइएसईआर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ हर संभव सहयोग प्राप्त करेगा।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किये जावेगें। इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटर्नशिप को प्रोप्साहित किया जावेगा।

छात्रों को स्टार्ट अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट

अप इंण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।

विपणन एव नकद सहयोग एवं सहायता– मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में निम्नानुसार प्रावधान किए जावेगें:

1. रूपये 1 करोड तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नआवेर संबंधी शर्तो एवं मापदण्डों से छूट प्रदान की जावेगी। रूपये 1 करोड से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझे तो पृथक से स्टार्ट अप से सेवा एवं उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।
2. रूपये 1 करोड से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं प्रस्ताव के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट अप के लिए आकल्पन प्रमाण को मान्य या स्वीकार किया जावेगा। किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
3. राज्य शासन के समस्त निविदाओं या प्रस्ताव के अनुरोध में सुरक्षा निधि बयाना राशि से छूट प्राप्त होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जिला उद्योग केन्द्र जिला शहडोल से प्राप्त जानकारी।
2. समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से संग्रह।
3. इंटरनेट से प्राप्त जानकारी।
4. स्टार्टअप के लिए अनुपालन की मूल बातें– डॉ अनुराग एस.डी. राय एवं रीता पवार।
5. कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू – पंकज गोयल
6. स्टार्टअप हो तो ऐसा हो – एन. रघुरामन
7. खुद का स्टार्टअप कैसे करे – पवन के.बी.

****